बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्र सं0 – वि0 प्र0 सं0 – (II) क – 1/24 2070 पटना, दिनांक –5. 8. 94

प्रेषक,

श्री अतुल प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सभी खनन संस्थान।

विषयः– गैर सरकारी मदों में शुल्क वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

प्राचार्य, खनन संस्थान के साथ गत 23.7.94 को संयुक्त सचिव/सचिव के साथ हुई बैठक के क्रम में यह जानकारी दी गई कि विभागीय पत्रांक 56 दि. 6. 1. 94 के द्वारा छात्र कल्याण एवं विकास मद में जो 200 दो सौ रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष वसूलने का आदेश है, वह संस्थान के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रर्याप्त नहीं है।

अतः निदेशानुसार सूचित करना है कि नये नामांकित होनेवाले छात्रों से पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों में प्रति छात्र 200 रूपये प्रति वर्ष के बजाय क्रमशः 1000/– एक हजार रूपये एवं 2000/– रू. दो हजार रूपये वसूले जायें। वर्तमान प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं से यह राशि अभी नहीं ली जायेगी। परंतु द्वितीय वर्ष से इन्हें भी यह राशि देनी होगी। प्राचार्य छात्रों को नामांकन के समय इस सम्बन्ध में भलि भांति समझा देंगे कि ऐसा उनके बेहतर प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ह०/–
संयुक्त सचिव